

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय-साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान-जयपुर के पत्रांक : प01(54)/संस्थापन/2011/2578-79 दिनांक 19-06-2018 के पृष्ठ भाग पर प्राप्त प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान-जयपुर की अभिशंषा/सहमति (आई डी संख्या- 308 दिनांक 07-07-2018) के अनुक्रम में निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर के विधि अनुभाग में निम्नांकित विवरणानुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत विभाग के व्याख्याता-स्कूल शिक्षा पद के शिक्षा अधिकारी को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम - 24 (3) के अनुरूप अनुसूची 1/II के ग्रुप- डी II में संवर्गित प्रधानाचार्य-उमावि0 एवं समकक्ष पद ग्रुप डी-II पे बैंड 15600-39100 पी. बी. ग्रेड वेतन 6600 व एल-16 में वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने के उपरान्त, विभाग के आदेशांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-III/डीपीसी/बन्द लिफाफा/प्रधानाचार्य/2017-18/वो-2 दिनांक 08-05-2018 के द्वारा व्याख्याता-स्कूल शिक्षा से प्रधानाचार्य-उमावि0 व समकक्ष के पद पर पदोन्नति के क्रम में, वर्तमान प्रतिनियुक्ति स्थान पर एतद् द्वारा यथावत प्रधानाचार्य-उमावि के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्रं.सं	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष/अवधि	नाम अधिकारी	मूल पद	जन्म तिथि	प्रतिनियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	857	1994-96	श्री शरफुद्दीन बैग	व्याख्याता राज0-विज्ञान	10-03-1966	निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।

उक्त वर्णित शिक्षा अधिकारी के सन्दर्भ में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प07(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20-06-2001 (33/01) के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथ-पत्र स्वयं प्रमाणित प्रस्तुत करने पर कार्यग्रहण करवायें, अन्यथा स्थिति में उक्त पदोन्नति के अधिकारी/पात्र नहीं होंगे।




(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/डीपीसी/17-18/पदस्थापन/2018 दि0 17.07.18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- शासन-सचिव शिक्षा, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
- 02- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (क-5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 03- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
- 04- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 05- सम्बन्धित उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा)
- 06- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा)
- 07- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 08- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 09- सहायक निदेशक, वरिष्ठता/संस्था-सी/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय सच/प्रभारी डी-3
- 10- निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर